



राँची समाहणालय, राँची

भूमि अर्जन शाखा
कमरा सं०-१०२, ब्लॉक 'ए'

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना-रिंग रोड से झारखण्ड जगुआर तक पहुँच पथ हेतु ग्राम-टेण्डर, थाना-काँके, थाना संख्या-77, अंचल-काँके, जिला-राँची में कुल-9.47 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश-9.47 एकड़ भूमि है और जो ग्राम-टेण्डर, थाना-काँके, थाना संख्या-77, अंचल-काँके, जिला-राँची में है, जिसकी विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	94	1343	कायमी	टांड-III	0.17	बकास्त मालिक मीरा देवी, पति-नारायण मिश्रा, विजय बिहारी पाण्डेय, पिता-रामाशीष पाण्डेय, भजराम शर्मा, पिता-पवन कुमार, संतोष कुमार, पिता-जय किशोर यादव, अमर कुमार यादव, पिता-केदारनाथ यादव, श्रीमती मधुबाला पाण्डेय, पति-अखिलेश पाण्डेय, जय प्रकाश राय, पिता-स्व० उदय मनीराय, सत्येन्द्र कुमार, पिता-कृष्ण नन्दन कुमार, प्रमोद कुमार यादव, पिता-चतुर्भूज महतो, निर्मला देवी, पति-अनिल सिंह, रामाधार चौबे, पिता-स्व० मथुरा चौबे, रामाशीष चौबे, पिता-स्व० मथुरा चौबे, अमर कुमार यादव, पिता-केदारनाथ यादव, दीपक मिश्रा, पिता-श्री नरेश मिश्रा	खे०सं०-1342	खे०सं०-343	खे०सं०-1417	खे०सं०-1200
2	03	1417	कायमी	टांड-III	0.51	बकास्त मालिक श्री प्रकाश सिंह, पिता-आनन्द सिंह	खे०सं०-1414, 1415, 1416 एवं 1344	खे०सं०-417	खे०सं०-424	खे०सं०-1343
3	143	1234	कायमी	दोन-III	0.03	उषा तिकी, पति-पास्कल तिकी	खे०सं०-200 एवं 1237	खे०सं०-200	खे०सं०-200	खे०सं०-1237 एवं 1200
4	61	1235	कायमी	दोन-III	0.15	देवनाथ मुण्डा वल्द बुलाक मुण्डा	खे०सं०-32	खे०सं०-200	खे०सं०-232	खे०सं०-1200
5	12	1236	कायमी	दोन-II	0.06	उषा तिकी, पति-पास्कल तिकी	खे०सं०-37 एवं 1238 का अंश	खे०सं०-235	खे०सं०-200	खे०सं०-1200 एवं 1238 का अंश
6	61	1238	कायमी	दोन-II	0.68	देवनाथ मुण्डा वल्द बुलाक मुण्डा	खे०सं०-00	खे०सं०-200 एवं 1241 का अंश	खे०सं०-236 एवं 1237	खे०सं०-1239 एवं 1241 का अंश
7	61	1239	कायमी	दोन-II	0.43	देवनाथ मुण्डा वल्द बुलाक मुण्डा	खे०सं०-00	खे०सं०-240 एवं 1241	खे०सं०-200 का अंश एवं 1238	खे०सं०-1242

8	61	1240	कायमी	दोन- II	0.06	देवनाथ मुण्डा वल्द बुलाक मुण्डा	खे0सं0-12 39	खे0सं0-1 241	खे0सं0-1 239 का अंश एवं 1241 का अंश	खे0सं0-124 2
9	61	1241	कायमी	दोन- II	0.47	देवनाथ मुण्डा वल्द बुलाक मुण्डा	खे0सं0-12 39 एवं 1240	खे0सं0-1 200	खे0सं0-1 200 एवं 1238 का अंश	खे0सं0-120 0 एवं 1242 का अंश
10	143	1242	कायमी	दोन- III	0.16	देवनाथ मुण्डा वल्द बुलाक मुण्डा	खे0सं0-12 44	खे0सं0-1 200	खे0सं0-1 241, 1240, 1239 एवं 1243 का अंश	खे0सं0-120 0
11	143	1243	कायमी	टांड- III	0.04	देवनाथ मुण्डा वल्द बुलाक मुण्डा	खे0सं0-12 00	खे0सं0-1 239	खे0सं0-1 200	खे0सं0-124 2 एवं 1244 का अंश
12	143	1244	कायमी	टांड- III	0.13	देवनाथ मुण्डा वल्द बुलाक मुण्डा	खे0सं0-12 00	खे0सं0-1 242	खे0सं0-1 200 एवं 1243 का अंश	खे0सं0-120 0
13	61	1232	कायमी	दोन- III	1.26	देवनाथ मुण्डा वल्द बुलाक मुण्डा	खे0सं0-12 00	खे0सं0-1 200 एवं 1233	खे0सं0-1 2317	खे0सं0-120 0 एवं 1231 का अंश
14	61	1233	कायमी	दोन- III	0.19	देवनाथ मुण्डा वल्द बुलाक मुण्डा	खे0सं0-12 32	खे0सं0-1 200	खे0सं0-1 232	खे0सं0-120 0
15	03	1201	कायमी	दोन- III	1.23	बकास्त मालिक प्रेम शंकर चौधरी, पिता-स्व0 सीताराम चौधरी, आशा जयसवाल, पति-अनिल कुमार, मुकेश कुमार, पिता-स्व0 विन्देश्वर सिंह, कमल चौधरी, पिता-सुरेश चौधरी, विनिता सिन्हा, प्रति-प्रेम कुमार	खे0सं0-11 29 का अंश	खे0सं0-1 434 एवं 1200	खे0सं0-1 1200	खे0सं0-143 4
16	73	1211	कायमी	टांड- III	0.59	भीखुआ उरांव वल्द मंगरा उरांव	खे0सं0-12 00	खे0सं0-1 212	खे0सं0-1 212	खे0सं0-121 0 एवं 1212 का अंश
17	59	1435	कायमी	टांड- III	3.18	झरी उरांव वो सुलका वो एतवा वो धुबु वो दभुआ उरांव पेशरान करमा उरांव वो शुकरा उरांव वल्द खसरु उरांव	खे0सं0-14 34	खे0सं0-1 436	खे0सं0-1 200	खे0सं0-.....
18	133	1202	कायमी	टांड- III	0.13	शुरा महतो, पिता-झुवरा महतो	खे0सं0-14 36	खे0सं0-1 203	खे0सं0-1 200	खे0सं0-.....

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-टेण्डर, थाना-काँके, थाना संख्या-77, अंचल-काँके, जिला-राँची, क्षेत्रफल कमोवेश-9.47 एकड़ भूमि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

(Signature)
उपायुक्त,
राँची।